

हरियाणा चुनावों से पहले डेरा प्रमुख ने पैंरोल की मांग की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पूर्व 20 दिनों की **पैंरोल** की मांग की है, जिससे चुनावी संदर्भ में कई प्रश्न उठने लगे हैं।

मुख्य बंदि

- **पैंरोल अनुरोध :**
- दो महिला शर्षियों के बलात्कार के लिये 20 वर्ष की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने **5 अक्टूबर, 2024** को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले **20 दिनों की पैंरोल का अनुरोध किया है**।
- डेरा प्रमुख को 13 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश के बागपत स्थिति अपने डेरा में रहने के लिये 21 दिनों का **अवकाश (Furlough)** दिया गया था।
- चूँकि चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिये राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को परामर्श के लिये **मुख्य नरिवाचन अधिकारी (CEO)** के पास भेज दिया है।
- CEO ने हरियाणा सरकार से चुनाव अवधि के दौरान पैंरोल अनुरोध को उचित ठहराने वाली आकस्मिक और बाध्यकारी परस्थितियाँ बताने को कहा है।
- **नरिवाचन आयोग** के दशिया-नरिदेशों में पैंरोल के लिये अनुमोदन अनविार्य नहीं है, लेकिन चुनाव अवधि के दौरान असाधारण मामलों में CEO से परामर्श की आवश्यकता होती है।
- **उच्च न्यायालय में पछिली चुनौतियाँ:**
- डेरा प्रमुख को बार-बार पैंरोल और अवकाश/ फरलो (Furloughs) दिये जाने को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
- अगस्त 2024 में, फरलो पर उनकी रहिाई को **शरिमण गुरुद्वारा परबंधक कमेटी (SGPC)** ने चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने याचिका को खारजि कर दिया और नरिणय हरियाणा जेल विभाग पर छोड़ दिया।
- उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में नरिणय "मनमानेपन या पक्षपात" के बनिा लिये जाने चाहिये।

पैंरोल और फरलो

- **पैंरोल:**
 - यह सज़ा को नलिंबति करके कैदी को रहिा करने की प्रणाली है।
 - रहिाई **सशरत होती है**, आमतौर पर व्यवहार के अधीन होती है और एक नश्चिति अवधि के लिये अधिकारियों को समय-समय पर ररिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है
 - पैंरोल **एक अधिकार नहीं है, और यह किसी कैदी को किसी वशिषिट कारण से दिया जाता है**, जैसे परिवार में मृत्यु या रक्त संबंधी की शादी
 - किसी कैदी को पर्याप्त कारण बताने के बाद भी उसे रहिा करने से इनकार किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि दोषी को रहिा करना समाज के हति में नहीं होगा।
- **अवकाश/ फरलो (Furlough):**
 - यह पैंरोल के समान है, लेकिन इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। यह लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है।
 - किसी कैदी को दी गई छुट्टी की अवधि को **उसकी सज़ा में छूट के रूप में माना जाता है**।
 - पैंरोल के वरिपरीत, फरलो को **कैदी का अधिकार माना जाता है**, जिसे किसी भी कारण से समय-समय पर प्रदान किया जाता है और यह केवल कैदी को पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है तथा जेल में लंबे समय तक रहने के दुष्प्रभावों का सामना करने में सहायता करता है।

